16.01.XVIII आवेदक/प्रार्थी उप. चालान/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं। जिसके लिये TDR को स्मरणपत्र जारी कर पत्रा. दि. 6.02.XVIII को पेश हो।

06.2.XVIII आवेदक/प्रार्थी उप. [illegible] संप. द्वारा जारी क्योंकि उप दिनांक 17.1.XVIII मय नामा [illegible] सं. 566 प्रस्तुत शामिल है. समान प्रकरण सं. 566 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्र.सं. 83/2017 श्री [illegible] आशीष व जगदीश [illegible] में पारित निर्णय + डिक्री दि. 15.9.17 की पालना की जा चुकी है. इस पत्रावली नस्तीबद्ध की जाती है. पत्रावली दायरी पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो.

(यशपाल आहूजा)

92/1)

A4/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा R.A.S.

वादपत्र संख्या 83/2017
अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अभिमन्यु आत्मज श्री जगदीश आत्मज स्व. श्री बालूराम,
जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
.....वादी

बनाम

1. जगदीश आत्मज स्व. श्री बालूराम, जाट फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.
.......प्रतिवादीगण

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपस्थित–	श्री राजेश गुम्बर	(वादी)
	श्री सतविन्द्रसिंह	(प्रतिवादी–1)
	राज्य प्रतिनिधि	(प्रतिवादी–2)

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

दिनांक 15 सितम्बर, 2017

।। निर्णय ।।

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 ई बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/15 मुरब्बा नम्बर 17, 18, 22, 39 एवं 50 की कुल 10.578 में से 5.620 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादी के दादा स्व. श्री बलूराम से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है. तथा अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश एवं प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर समस्त कृषि भूमि को अन्तरित करने में प्रयासरत है. यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने उद्देश्य मे सफल हो जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी. इसलिये भी वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेखों में अपने हिस्सा की भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. जिसके लिये वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बार बार आग्रह किया गया कि वह प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का जन्म से ही कि व हिस्सा होने के कारण प्रश्नगत

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कृषि भूमि का ½ हिस्सा वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाये किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश टालमटोल करते हुऐ दिनांक 30 जुलाई, 2017 को साफ इन्कारी हो गया. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 2 ई बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/15 मुरब्बा नम्बर 17, 18, 22, 39 एवं 50 की कुल 10.578 में से 5.620 हैक्टर कृषि भूमि का ½ हिस्सा के लिये वादी को खातेदार, काश्तकार एवं हकदार होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आश्य की डिक्री कि वह स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से प्रश्नगत कृषि भूमि से वादी को बदेखल करने एवं बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्य रहे. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की चित्रित प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राज्य प्रतिनिधि उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 8 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री अनिल बिश्नोई द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड # 3381 1436 1203, भारत चुनाव आयोग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र # KPQ1023175 की स्वःप्रमाणित चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

राज्यप्रतिनिधि द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं राज्य प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित आकर साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र में अंकित किया गया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का इकलौता पुत्र है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

92/17

A4
4

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1998 RBJ 615 Rajasthan State vs. kansingh etc. का ससम्मन अवलोकन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि पारिवारिक विभाजन से प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी अंकित की गयी है, के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि स्पष्टतः पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी जन्म से ही हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं. जिसके परिदृश्य प्रश्नगत कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 समभाग अथवा पारिवारिक राजीनामा के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं.

।। निर्णय ।।

अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 8 सितम्बर, 2017 के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी श्री अभिमन्यु आत्मज श्री जगदीश को – चक 2 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/15 मुरब्बा नम्बर 17, 18, 22, 39 एवं 50 की कुल 10.578 में से 5.620 हैक्टर कृषि भूमि का ½ हिस्सा के लिये खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय आज दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर